



बैंकिंग क्षेत्र: भारत की आर्थिक वृद्धि का एक स्तंभ

परलमिस के लिये: [अनुसूचित वाणज्यिक बैंक](#), [गैर-नषिपादति परसिंपततयिाँ](#), [एकीकृत भुगतान इंटरफेस](#), [इनशियलि पब्लिक ऑफर](#), [फरी-एआई](#)

मेन्स के लिये: समावेशी विकास और आर्थिक विकास में बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका, कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंकों की भूमिका

स्रोत: द हदि

चर्चा में क्यों?

- राष्ट्रपति द्रोपदी मुरमू ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र की आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs)** का समर्थन करने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने तथा वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में भूमिका पर प्रकाश डाला।

भारत की बैंकिंग प्रणाली का आर्थिक विकास में क्या योगदान है?

- ऋण वृद्धि और आर्थिक गतिविधि:** [अनुसूचित वाणज्यिक बैंकों](#) (Scheduled Commercial Banks - SCBs) द्वारा मार्च 2024 तक बैंक ऋण वितरण **164.3 लाख करोड़ रुपये** तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2023 की तुलना में **20.2%** (वित्त वर्ष 2023 में 15% की तुलना में) की वार्षिक वृद्धि है।
 - कृषि ऋण वित्त वर्ष 2021 में **13.3 लाख करोड़ रुपये** से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में **20.7 लाख करोड़ रुपये** हो गया है, जिससे **7.4 करोड़ से अधिक सक्रिय किसान क्रेडिट कार्ड खातों** का समर्थन प्राप्त हुआ।
 - बैंक आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले क्षेत्रों को रणनीतिक रूप से ऋण प्रदान करते हैं।
- वित्तीय स्थिरता और परसिंपतत गुणवत्ता:** सरसवत सहकारी बैंक (SCB) के [सकल गैर-नषिपादति परसिंपततयिाँ \(GNPA\)](#) मार्च 2024 में **12 वर्षों के नचिले स्तर 2.8%** पर आ गई, जो वित्त वर्ष 2018 में **11.2%** थी। यह बेहतर ऋणग्राही चयन और वसूली तंत्र में सुधार को दर्शाता है।
 - शीर्ष 10 भारतीय बैंकों के **ऋण कुल परसिंपततयिाँ का 50% से अधिक** है, जो बढ़ती ब्याज दरों के प्रतिलिचिलापन सुनिश्चित करता है।
- MSME और उद्यमिता समर्थन:** बैंक उद्यमिता और समावेशी विकास के प्रमुख सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उन्होंने **MSME और औद्योगिक क्षेत्रों को कम लागत पर ऋण उपलब्ध कराकर रोजगार, नवाचार और औद्योगिक विकास** को बढ़ावा दिया है।
 - उधार लेने वाले ग्राहकों के मामले में भारत, चीन के बाद, विश्व स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा बाजार है।
 - औद्योगिक ऋण वृद्धि वित्त वर्ष 23 में **5.2%** से बढ़कर वित्त वर्ष 24 में **8.5%** हो गई।
- डिजिटल परिवर्तन और वित्तीय समावेशन:** अब **77% से अधिक वयस्कों** के पास औपचारिक वित्तीय संस्थानों में खाते हैं, जिससे आय और लिंग के आधार पर वित्तीय पहुँच में अंतर कम हुआ है।
 - [युनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस \(UPI\)](#) लेनदेन वित्त वर्ष 2017 में **0.07 लाख करोड़ रुपये** से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में **200 लाख करोड़ रुपये** हो गया।
 - मार्च 2024 तक भारत में **116.5 करोड़ स्मार्टफोन ग्राहक** हैं, जो डिजिटल बैंकिंग की पहुँच को सुलभ बनाने में सहायक हैं।
- पूँजी बाजार विकास:** प्राथमिक बाजार से जुटाई गई धनराशिवित्त वर्ष 2024 में **10.9 लाख करोड़ रुपये** तक पहुँच गई। [प्रारंभिक सार्वजनिक निरिगम](#) (Initial Public Offerings- IPO) वित्त वर्ष 2023 के **164** से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में **272** हो गए। [कॉर्पोरेट बॉण्ड](#) निरिगम वित्त वर्ष 2024 में बढ़कर **8.6 लाख करोड़ रुपये** हो गए, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है।
 - बैंक पूँजी बाजार और निवेशकों को जोड़ते हैं, तथा कॉर्पोरेट वित्तपोषण और दीर्घकालिक विकास को समर्थन देते हैं।
- सामाजिक एवं कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन:** [प्रधानमंत्री जन-धन योजना \(PMJDY\)](#) के अंतर्गत खातों की संख्या **56 करोड़** से अधिक हो चुकी है, जिनमें से **67% खाते ग्रामीण/अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में** हैं और **56% खाताधारक महिलाएँ** हैं।
 - [आयुषमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना](#) के तहत अब तक **34.2 करोड़ स्वास्थ्य कार्ड** जारी किये जा चुके हैं, जिनमें से **49.3% कार्ड महिलाओं के नाम पर** हैं।
 - [राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली \(NPS\)](#) और [अटल पेंशन योजना \(APY\)](#) के तहत कुल सदस्यता बढ़कर **735.6 लाख** हो गई है, जो वार्षिक आधार पर **18% की वृद्धि दर्शाती** है। इनमें महिलाओं की भागीदारी बढ़कर **48.5%** हो गई है।

भारत के बैंकिंग क्षेत्र के सामने प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं?

- **ऋण-जमा संतुलन और तरलता जोखिम:** ऋण वृद्धि ने जमा संग्रह (डिपॉजिट मोबिलिजेशन) को पीछे छोड़ दिया है, जिससे संरचनात्मक तरलता दबाव की संभावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं।
 - परिवार तेज़ी से अपनी बचत को **म्यूचुअल फंड, बीमा और पेंशन योजनाओं की ओर स्थानांतरित** कर रहे हैं, जिससे बैंकों के पारंपरिक कम लागत वाले जमा आधार में कमी आ रही है।
 - बैंक इस अंतर को **शॉर्ट-टर्म उधार और जमा प्रमाणपत्रों के माध्यम से पूरा कर** रहे हैं, जिससे वे ब्याज दरों में उतार-चढ़ाव के प्रती अधिक **संवेदनशील हो गए हैं**।
- **साइबर सुरक्षा और तृतीय-पक्ष जोखिम:** बढ़ते डिजिटलीकरण के कारण साइबर हमलों, सॉफ्टवेयर वफिलताओं और आउटसोर्स संचालन से होने वाले जोखिमों में वृद्धि हुई है।
 - इन क्षेत्रों में कमज़ोर प्रबंधन से परिचालन में व्यवधान, वित्तीय हानि और प्रतियोगिता को नुकसान हो सकता है।
 - **सोशल इंजीनियरिंग हमलों** और म्यूल अकाउंट्स (Mule Accounts) के बढ़ते उपयोग से बैंकों को वित्तीय और प्रतियोगिता संबंधी जोखिमों का सामना करना पड़ता है।
- **खुदरा ऋण और असुरक्षित ऋण:** खुदरा, असुरक्षित, और नज़ी ऋण के तेज़ी से वसितार से **डिफॉल्ट**, ऋण भार (लेवरेज) जोखिम और प्रणालीगत कमज़ोरियों का जोखिम बढ़ जाता है। इससे बैंकों को अपने जोखिम आकलन, नगिरानी तथा संचालन ढाँचे को मज़बूत करना आवश्यक हो जाता है।

आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत के बैंकिंग क्षेत्र को मज़बूत करने हेतु कौन से उपाय किये जा सकते हैं?

- **पूँजी और जोखिम प्रबंधन को सुदृढ़ करना:** भारत को **बेसल-III दिशा-निर्देशों** और **नरसहिम समिति (1991) की सफ़ारिशों** के अनुरूप पर्याप्त पूँजी भंडार सुनिश्चित करते हुए जोखिम प्रबंधन को मज़बूत करना होगा।
 - बैंकों को खुदरा और असुरक्षित ऋणों के लिये उन्नत जोखिम-आधारित मूल्यांकन मॉडलों को अपनाना चाहिए, ताकि पूँजी पर्याप्तता (capital adequacy) में वृद्धि हो और डिफॉल्ट की दर घटे।
 - इन उपायों से एक अधिक **लचीला और सतत बैंकिंग क्षेत्र** विकसित होगा।
- **डिजिटल परिवर्तन और साइबर सुरक्षा:** **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) के आर्टफिशियल इंटेलिजेंस (FREE-AI) के ज़रिमिदार और नैतिक उपयोग हेतु ढाँचे** के अनुरूप, बैंकों को फ़िनटेक साझेदारी और एआई-आधारित जोखिम विश्लेषण को प्रोत्साहित करना चाहिये ताकि पहुँच और दक्षता को बढ़ाया जा सके।
 - **म्यूलहंटर एआई (MuleHunter AI)** और **अकाउंट एग्रीगेटर ढाँचा** जैसी पहलें नवाचार को प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही सुरक्षा और अनुपालन को भी सुनिश्चित करती हैं।
- **शासन और निष्पक्ष आचरण:** उपभोक्ता संरक्षण मानदंडों को लागू करना, पारदर्शी ऋण अनुबंध और उचित मूल्य निर्धारण तंत्र, विशेषकर माइक्रोफाइनेंस में, भरोसा बनाने में सहायक हो सकते हैं।
- **वित्तीय समावेशन और ऋण वसितार को बढ़ावा:** प्राथमिकता क्षेत्र ऋण का वसितार, सह-ऋण मॉडल और नवीन डिजिटल क्रेडिट प्लेटफॉर्म, उपेक्षित आबादी को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में ला सकते हैं।
 - **पीएमजेडीवाई (PMJDY), पीएम-सुरय घर और पीएम-कृषुम** जैसी योजनाएँ बैंकिंग को सामाजिक और अवसंरचना विकास से जोड़ती हैं, जिससे समावेशी विकास को प्रोत्साहन मिलता है।
- **जलवायु और संक्रमण वित्तपोषण:** दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता के लिये ऋण वितरण में स्थिरता और जलवायु जोखिम आकलन को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है।
 - **सॉवरन ग्रीन बॉन्ड्स, ग्रीन डिपॉजिट्स और आरबीआई का मसौदा जलवायु प्रकटीकरण ढाँचा** जैसी पहलें बैंकों को संक्रमण वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिये प्रोत्साहित करती हैं, साथ ही ग्रीनवॉशिंग जोखिमों को भी कम करती हैं।
- **नियामक और नीतित्त्व उपाय:** त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (PCA), उन्नत पर्यवेक्षण और जोखिम-आधारित ऑडिट जैसे मज़बूत नियामक ढाँचे वित्तीय प्रणाली की लचीलापन (resilience) को बढ़ाते हैं।

नरसहिम समिति

- **डॉ. मनमोहन सहि** ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र का विश्लेषण करने और सुधारों की सफ़ारिश करने के लिये वर्ष 1991 में **नरसहिम समिति** का गठन किया। इसके बाद वर्ष 1998 में दूसरी समिति बनी, जिसे **नरसहिम समिति-II** के नाम से जाना जाता है।

नरसहिम समिति-I सफ़ारिशें:

- भारतीय बैंकिंग प्रणाली के लिये एक **चार-स्तरीय पदानुक्रम** जिसमें **शीर्ष पर 3 या 4 प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक** और सबसे निचले स्तर पर कृषि गतिविधियों के लिये ग्रामीण विकास बैंक होंगे।
- बैंकों और वित्तीय संस्थानों की नगिरानी के लिये **RBI के अधीन एक अर्द्ध-स्वायत्त निकाय**।
- **वैधानिक तरलता अनुपात** में कमी
- **पूँजी पर्याप्तता अनुपात** 8% तक पहुँचना
- **परसिंपत्त पुनर्रनिमाण नधि** की स्थापना

नरसमिहम समतिः ॥ सफारशः

- समतिः ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिये प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वलिय की सफारश की । हालाँकि, समतिः ने मज़बूत बैंकों का कमज़ोर बैंकों के साथ वलिय करने के खलाफ़ चेतावनी दी ।
- समतिः ने बैंकिंग क्षेत्र में भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) की भूमिका में सुधार की भी सफारश की । समतिः का मानना था कि चूँकि आरबीआई नियामक है, इसलिये उसे किसी भी बैंक में स्वामतिव नहीं रखना चाहिये ।
- इसके साथ ही समतिः ने एसेट रकिंसट्रक्शन फंड्स या एसेट रकिंसट्रक्शन कंपनियों के गठन की भी सफारश की ।

नषिकरषः

- संक्रमणकालीन वतितपोषण, जलवायु-सचेत ऋण और डजिटिल ऋण वसितार को अपनाकर, बैंक एक साथ स्थरिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं । इस क्षेत्र की स्थरिता नविशकों के वशिवास, घरेलू बचत जुटाने और वैश्विक वतित्य बाज़ारों के साथ एकीकरण को भी बढ़ावा देती है ।

प्रश्नः वतित्य स्थरिता बनाए रखते हुए ऋण वृद्धि और वतित्य समावेशन को बढ़ावा देने में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका का वशिलेषण कीजिये ।

प्रश्नः वतित्य स्थरिता बनाए रखते हुए ऋण वृद्धि और वतित्य समावेशन को बढ़ावा देने में भारत के बैंकिंग क्षेत्र की भूमिका का वशिलेषण कीजिये ।

प्रश्न. भारत में 'शहरी सहकारी बैंकों' के संदर्भ में नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजिये: (2021)

1. राज्य सरकारों द्वारा स्थापति स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं वनियमन कयिा जाता है ।
2. वे इक्वटी शेयर और अधमिन शेयर जारी कर सकते हैं ।
3. उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन द्वारा बैंकिंग वनियमन अधनियम, 1949 के कार्य-क्षेत्र में लाया गया था ।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1 और 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (b)

प्रश्नः नमिनलखिति में से कौन-सा भारत के सभी ATM को जोड़ता है? (2018)

- (a) भारतीय बैंक संघ
- (b) राष्ट्रीय प्रताभूत निक्षेपागार लमिटेड
- (c) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम
- (d) भारतीय रज़िर्व बैंक

उत्तर: (c)

प्रश्नः

प्रश्न. प्रधानमंत्री जन धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) बैंकरहितों को संस्थागत वतित में लाने के लिये आवश्यक है । क्या आप सहमत हैं कि इससे भारतीय समाज के गरीब तबके का वतित्य समावेश होगा? अपने मत की पुष्टि के लिये तर्क प्रस्तुत कीजिये । (2016)

